

vVWWhz tujy %egkl; k; oknh% e=ky;

तत्काल प्रकाशन के लिए
26 अप्रैल 2006

edxw/h l jdkj }kjk vkw/fj; ks ea ekuokf/kdkj
l j {k.k dks etcirh çnku djuk

विधि व्यवस्था के माध्यम से मानवाधिकार प्रणाली को आधुनिक बनाना, जनता की बेहतर सेवा

Vkj&k – मैकगुंटी सरकार ने विधान का प्रस्ताव किया है जो, यदि पारित हो जाता है, ओंटेरियो में मानवाधिकार को प्रोत्साहन, तरक्की और प्रवर्तन में सुधार और मजबूती प्रदान करेगा, अटॉर्नी जनरल माइकल ब्रायंट ने आज घोषणा की।

“हमारी सरकार मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देने, जातिगत भेदभाव से लड़ने और दुर्बलों की रक्षा करने के प्रति वचनबद्ध है”, ब्रायंट ने कहा। “आधुनिकीकृत ओंटेरियो मानवाधिकार आयोग भेदभाव के निवारण पर ध्यान देकर मानवाधिकारों का एक सशक्त चैम्पियन बन जाएगा, जबकि ओंटेरियो मानवाधिकार न्यायाधिकरण को व्यक्तिगत झगड़ों के निष्पक्ष, शीघ्र और प्रभावी निपटान के लिए विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी।”

प्रस्तावित मानवाधिकार संहिता संशोधन अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, ओंटेरियो मानवाधिकार प्रणाली में निम्न द्वारा सुधार किया जाएगा:

- अपनी कार्यप्रणाली को सक्रिय उपायों जैसे लोकशिक्षा, क्रमबद्ध सलाह, प्रोत्साहन, अनुसंधान और विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित कर भेदभाव निवारण में ओंटेरियो मानवाधिकार आयोग (OHRC) की भूमिका को मजबूत बनाना।
- ओंटेरियो के संवर्धित मानवाधिकार (HRTO) न्यायाधिकरण में सीधे भेदभाव दावों की स्वीकृति देना और उन्हें मध्यस्थता, अधिनिर्णय और प्रवर्तन द्वारा शीघ्रता और प्रभावी ढंग से सुलझाना।
- एक नया मानवाधिकार कानूनी सहायता केंद्र बनाना जो न्यायाधिकरण से सहायता प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को जानकारी, समर्थन, सलाह, सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराए।
- ओएचआरसी (OHRC) के अंतर्गत दो नए सचिवालय, एक जातिवाद-विरोधी सचिवालय और अशक्तता अधिकार सचिवालय, स्थापित करना।

“नवनिर्मित मानवाधिकार प्रणाली बनाने के लिए आयोग सरकार के साथ काम करना जारी रखेगा ताकि मानवाधिकार के क्षेत्र में ओंटेरियो की स्थिति को अंतरराष्ट्रीय अगुआ के रूप में कायम रखा जा सके।” ओएचआरसी (OHRC) की मुख्य आयुक्त, बारबरा हाल ने बताया।

“इस विधान के अंतर्गत, ओंटेरियो के वासी अपनी मानवाधिकार शिकायतों को शीघ्रता, कुशलता और प्रभावी ढंग से सुलझा सकेंगे”, एचआरटीओ (HRTO) के अध्यक्ष माइकल गोथील बताते हैं। “मैं इसे अमल में लाने पर सरकार के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ।”

“मैं मानवाधिकार प्रणाली सुधारों के लिए अटॉर्नी जनरल के विधान की सराहना करता हूँ।” एचआईवी एवं एड्स कानूनी क्लिनिक (ओंटेरियो) [HIV & AIDS Legal Clinic (Ontario)] के कार्यकारी निदेशक, रूथ कैरी कहते हैं। “मानवाधिकार और सामुदायिक समूह अनेक वर्षों से इसकी मांग कर रहे थे। हम मानवाधिकारों के प्रति सरकार की इस वचनबद्धता का स्वागत करते हैं।”

“हम पिछले एक दशक से अपनी मानवाधिकार प्रणाली में बदलाव के लिए आवाज उठाते रहे हैं, जिसकी सुनवाई हुई है,” ब्रायंट ने बताया। “यह नया कानून सुनिश्चित करेगा कि इस प्रांत में लोगों और प्रगतिशील मानवाधिकार प्रणाली सेवा में सुधार हुआ है।”

- 30 -

संपर्क सूत्र:

ग्रेग क्रोन (Greg Crone)
मंत्री कार्यालय (Minister's Office)
(416) 326-1785

ब्रेनडन क्रॉले (Brendan Crawley)
संचार शाखा (Communications Branch)
(416) 326-2210

www.attorneygeneral.ius.gov.on.ca

यह दस्तावेज www.attorneygeneral.ius.gov.on.ca पर 14 भाषाओं में उपलब्ध हैं।

सामान्य टेलीफोन पूछताछ: 416-326-2220 अथवा 1-800-518-7901

दृष्टिहीन व्यक्ति इस दस्तावेज का मूल पाठ सुनने के लिए
उपरोक्त फोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं

यह दस्तावेज अनुरोध पर ब्रेल में उपलब्ध है।

टीटीवाई: 416-326-4012